

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी आष्टा जिला सीहोर

क्र. /भूअर्जन/2021

आष्टा दिनांक /06/2021

प्रति ,

नियंत्रक,
शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय
भोपाल (म.प्र.)

विषय : - भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की अधिसूचना के प्रकाशन बाबत।

-----000-----

उपरोक्त विषयांतर्गत कान्याखेडी मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु भू अर्जन प्रकरण 02/अ-82/2018-19 द्वारा ग्राम डोडी तहसील जावर अनुभाग आष्टा जिला सीहोर के कृषको की निजी भूमि के भू अर्जन की कार्यवाही प्रचलित हैं, जिसके तारतम्य में भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में होना है।

अतः उक्त अधिसूचना की दो प्रति संलग्न भेजकर अनुरोध हैं कि इसका प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग-1 में करवाने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

86
22/6/21

— एम्ता —
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन
अधिकारी आष्टा

पृ. क्र. 162 /भूअर्जन/2021

आष्टा दिनांक 22/06/2021

प्रतिलिपि-

1. संचालक जन संपर्क संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर विषयांकित अधिसूचना की 5 प्रतियां संलग्न भेजकर अनुरोध हैं कि इसका प्रकाशन दो समाचार पत्रों में करवाकर, समाचार पत्र की प्रतियां इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।
2. तहसीलदार जावर की ओर सार्वजनिक सूचना का प्रारूप तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।
3. जिला सूचना अधिकारी (NIC) सीहोर की ओर सार्वजनिक सूचना के प्रारूप की एक प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

4. अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग आष्टा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। संचालक जन संपर्क संचालनालय भोपाल के उक्त पत्र की प्रति संलग्न भेजी जा रही हैं। पत्र संचालक जन संपर्क संचालनालय भोपाल में भिजवाकर उनकी पावती इस कार्यालय में भिजवाएं एवं सार्वजनिक सूचना के समाचार पत्रों में प्रकाशन होने पर संबंधित समाचार पत्रों की प्रति संकलित कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में उपलब्ध कराए।
5. पंचायत सचिव ग्राम पंचायत डोडी की ओर सार्वजनिक सूचना का प्रारूप ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु।



अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन
अधिकारी आष्टा

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव म.प्र.शासन राजस्व विभाग सीहोर

(प्रारूप धारा 19)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

सीहोर दिनांक 15/06/2021

:: अधिसूचना ::

प्रकरण क्रमांक 002/अ-82/2018-2019, चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

—अनुसूची —

1. भूमि का वर्णन

(क) जिला – सीहोर

(ख) तहसील – जावर

(ग) ग्राम – डोडी

(घ) क्षेत्रफल – 6.106 हेक्टर

स.क्र.	खसरा क्रमांक/ सर्वे नम्बर	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)
1	225/3/3	0.076
2	225/1/1 225/2, 226,227	1.012
3	228	0.324
4	230/5 शा. 231,232,233,234/1	0.450
5	230/6,231,232,233,234/1	0.154
6	230/7, 231,232,233,234/1	0.158
7	236/1	0.028
8	236/2/1	0.089
9	236/2/2	0.445
10	236/3	0.365
11	237/1	0.089

12	237/2	0.376
13	237/3	0.566
14	239/1	0.810
15	239/3	0.364
16	239/4	0.089
17	262/1	0.453
18	336/2	0.050
19	351/2/झ	0.098
20	346/2	0.110
	योग	6.106

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैं- कान्याखेडी मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण हेतु।
3. भूमि का नक्शा (प्लान)का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू अर्जन अधिकारी आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार



(चन्द्र मोहन ठाकुर)
कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव
म.प्र.शासन राजस्व विभाग सीहोर